विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00–09/2024

श्री नईम अख्तर पिता मोहिब उल्ला, — **आवेदक**
खसरा क्र0 47/6, हमीदपुरा,
तहसील व जिला – बुरहानपुर (म0प्र0)
पिन कोड – 450331
मोबाईल न0 99266–11335, 7974617003

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (शहर संभाग), — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
लालबाग रोड, बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331
मोबाईल न0 – 9009367855

आदेश

(दिनाँक 24.05.2024 को पारित)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी0 एच0 अंसारी उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री के0के0 जयसवाल, सहायक यंत्री (लालबाग जोन) बुरहानपुर उपस्थित ।

01. आवेदक – श्री नईम अख्तर, पिता मोहिब उल्ला खसरा क्रं. 47/6 हमीदपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर से समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0560023 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त अभ्यावेदन में आवेदक ने यह कथन किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त जले मीटर की कीमत का भुगतान "अंडर प्रोटेस्ट" कर दिया है।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–**

आवेदक श्री नईम अख्तर, पिता मोहिब उल्ला ने यह अभ्यावेदन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक W0560023 में पारित आदेश दिनाँक 09.10.2024 से असंतुष्ट

होकर विद्युत लोकपाल के समक्ष दिनाँक 17.02.2024 को प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन के विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण दिनाँक 29.02.2024 को आवेदक को वापिस किया गया। आवेदक ने पुनः अपने प्रतिवेदन दिनाँक 09.03.2024 द्वारा विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से बाहर अभ्यावेदन का प्रस्तुत किये जाने के कारण कण्डिका 3.37 के पालन में छूट हेतु निवेदन किया ।

उक्त प्रतिवेदन में आवेदक ने **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021" की कण्डिका 3.37** के प्रावधानानुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समयावधि से छूट इस आधार पर चाही गई कि उन्हें फोरम का आदेश न तो साधारण डाक से और न ही रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ। इस कारण उनके अधिवक्ता द्वारा फोरम के समक्ष पत्र प्रस्तुत करके फोरम द्वारा पारित आदेश की प्रति दिनांक 12 जनवरी, 2024 को प्राप्त किया गया ।
अतः आवेदक द्वारा लिखित कारण को संज्ञान में लेकर उसकी पुष्टि करने के उपरान्त आवेदक के अभ्यावेदन को स्वीकार कर दिनाँक 02.04.2024 को प्रकरण दर्ज कर उभ्य पक्षों को दिनाँक 24.04. 2024 को सुनवाई हेतु उभ्य पक्षों को सूचना पत्र जारी किया गया ।

03. **विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण में क्र. W0560023 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :–**

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01/ *परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है*

02/ *अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार परिवादी का औद्योगिक श्रेणी सर्विस कनेक्शन क्रंमाक एन. 3957004563 स्वीकृत भार 13 एच.पी. है। परिवादी ने विपक्ष कार्यालय में मीटर की डिस्पले दर्शित नहीं होने के कारण दिनाँक 20.02.2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर विपक्ष ने मीटर क्रंमाक MPP01848 को बदलकर नया मीटर क्रंमाक 7603525 की प्रारम्भिक रीडिंग 002 पर दिनाँक 24.02.2023 को स्थापित किया गया। मीटर टेस्टिंग रिपार्ट दिनाँक 13.04.2023 से मीटर क्रंमाक MPP01848 का मीटर नो डिस्प्ले एवं मीटर जला है का उल्लेख है। बिलिंग विवरण में मीटर डिस्प्ले ऑफ होने के कारण विपक्ष ने माह फरवरी–2023 (दिनाँक 12.01.2023 से 11.02.2023) की आंकिलत खपत 4476 तथा मार्च–2023 (12.02.2023 से मीटर बदलने की दिनाँक 24.02.2023) की आंकलित खपत + मीटर की वास्तविक खपत की कुल खपत 3897 युनिट की बिलिंग की है, को विधिक प्रावधान में उल्लेखित कण्डिका 8.44 के अनुसार*

माह नवम्बर–2022, दिसम्बर–2022 एवं जनवरी–2023 की औसत खपत 4476 के आधार पर किया जाना पाया है। अतः परिवादी द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान किया जावे। मीटर जला होने के कारण मीटर की कीमत विधिक प्रावधान अनुसार वसूल की जावे।"

04. अभ्यावेदन में फोरम के आदेश से आवेदक के असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार बताये गये हैं :–

(i) *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक बिंदुओ का सुक्षमतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है।*

(ii) *इन्दौर फोरम ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं. 8.24 पर भी ध्यान न देकर गंभीर भूल की है।*

(iii) *इन्दौर फोरम ने प्रति अपीलार्थी के द्वारा कुट रचित एवं बनावटी दस्तावेज को सही मानकर भी गंभीर भूल की है।*

(iv) *इंदौर फोरम ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं. 8.12 की मंशा को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

(v) *इंदौर ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं 8.20 की मंशा को नहीं समझकर गंभीर भूल की है ।*

(vi) *इंदौर ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं 8.40 की मंशा को नहीं समझकर गंभीर भूल की है ।*

(vii) *इंदौर फोरम ने प्रति अपीलार्थी के द्वारा किये गये मौखिक कथन/दस्तावेजी प्रमाण के आभाव में जो विश्वास किया जाकर आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।*

(viii) *अपीलार्थी/ आवेदक वर्तमान प्रकरण के अंतिम तर्क के समय अन्य तथ्य एवं कानुनी बिदुं लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है ।*

(ix) *वर्तमान अपील के साथ इंदौर फोरम द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09/10/2023 की प्रति एवं अपीलार्थी अधिवक्ता को उनके द्वारा इंदौर फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनाँक 12/01/2024 के आधार पर प्राप्त हुई है उक्त आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।*

(x) *अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त मीटर की कीमत 10,500/– रू. का भुगतान अंडर प्रोटेस्ट कर दिया गया है वास्ते प्रमाण बिल की प्रति संलग्न है।*

05. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक ने निम्नानुसार कथन किया हैः—

i. *आवेदक का विद्युत कनेक्शन स्वीकृत भार 13 एच.पी का पावरलूम हेतु प्रदान किया गया है। उक्त कनेक्शन की माह मार्च 2003 से माह जून 2023 तक की कुल 4 माह की विद्युत खपत 15817—4 = 3954 औसत युनिट बनती है ।*

ii. *उक्त कनेक्शन का मीटर परिसर से बाहर लगा होकर माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में नियमित रूप से विधुत खपत दर्शा रहा था किन्तु अचानक उक्त मीटर का डिस्पले चले जाने के कारण रीडींग दर्शित नहीं कर रहा था ।*

iii. *आवेदक ने तुरंत अनावेदक के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त वादग्रस्त मीटर को बदलने का निवेदन किया, जिसके संबंध मे अनावेदक के संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यालय में मीटर उपलब्ध न होना बताया जाकर भविष्य में मीटर उपलब्ध होने पर उक्त वादग्रस्त मीटर को बदले जाने का आश्वासन दिया गया था ।*

iv. *आवेदक के कनेक्शन पर स्थापित वादग्रस्त मीटर को एक ओर अनावेदक द्वारा निर्धारित समय अवधि में बदला नहीं गया। इसके विपरीत उक्त औसत युनिट 3954 युनिट के स्थान पर माह जनवरी 2023 में 4678 औसत युनिट एवं माह फरवरी 2023 में 4476 औसत युनिट का बिल जारी किया गया। आवेदक ने इस संबंध मे दिनाँक 20/2/2023 को आपत्ति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अत्यधिक औसत युनिट को कम करने और वादग्रस्त मीटर को तुरंत बदले जाने का निवेदन किया गया।*

v. *अनावेदक के द्वारा वादग्रस्त मीटर दिनाँक 24/02/2023 को बदला गया। उक्त वादग्रस्त मीटर बदलते समय मीटर रिपलेसमेंट फार्म पर* ***"मीटर बदलने का कारण नो डिस्पले"*** *का उल्लेख किया गया और उसी फार्म पर आवेदक ने अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए उक्त मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाना एवं मीटर डिस्पले उडनें के कारण मीटर बदला गया है की टीप अंकित की है।*

vi. *आवेदक ने वादग्रस्त मीटर बदलते समय उसका फोटो ग्राफ्स भी निकाला गया था जिसमें निश्चित रूप से मीटर का डिस्पले दर्शित न होना स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है।*

vii. *अनावेदक ने करीब 4 माह बाद आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये माह जुलाई 2023 के बिल में सी.सी.बी.एडजेस्टमेंट के कालम मे 10,500/— रू. जोड़कर भेजी गई थी इस सबंध मे आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशि को कम करने का निवेदन किया था ।*

viii. *अनावेदक के द्वारा उक्त बिल से उक्त 10,500/– रू. की राशि को कॉस्ट ऑफ मीटर की राशि होना बताकर उक्त राशि भुगतान योग्य होना बताया था इसलिये आवेदक ने मजबूरन आपत्ति सहित उक्त बिल का भुगतान अंडर प्रोटेस्ट कर दिया है।*

ix. *अनावेदक के द्वारा इंदौर फोरम के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जाकर उक्त कनेक्शन पर माह जनवरी 2023 तक मीटर मे दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक जारी किया जाना एवं माह फरवरी 2023 में मीटर खराब हो जाने के कारण औसत खपत 44.76 युनिट एवं माह मार्च 2023 में नये मीटर की खपत 1957 एवं औसत खपत 1940 युनिट के आधार पर 3897 यूनिट का विधुत देयक जारी किया गया है जो कि पूर्व माहों में जारी किये गये मीटर खपतों के लगभग समान हैं एवं नियामनुसार सही होकर भुगतान किये जाने योग्य है आवेदक के द्वारा दिनांक 20/02/2023 को उक्त विधुत संयोग पर स्थित मीटर पर डिस्पले दर्शित नहीं होने के कारण मीटर बदलने एवं औसत कम करने के संबंध में आवेदन पत्र जीवन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था एवं आवेदन पत्र दिनाँक 20/02/2023 के आधार पर उक्त विधुत कनेक्शन पर स्थित मीटर को जाँच कराने हेतु दिनाँक 24/02/2023 को निकाला गया एवं निकाले गये मीटर के स्थान पर नया मीटर स्थापित किया गया आवेदक के उक्त विद्युत कनेक्शन के मीटर को दिनाँक 20/02/2023 को बदलते समय आवेदक के द्वारा मीटर डिस्पोजल सिलिप में लेख किया है कि उसका पुराना मीटर लेबोरेट्री मे चेक किया जावे जो नियम अनुसार रिपोर्ट आयेगी मान्य होगी ।*

x. *आवेदक के उक्त विद्युत कनेक्शन से दिनाँक 24/02/2023 को मीटर निकाला जाकर दिनाँक 13/04/2023 को मीटर की जाँच कराई गई मीटर जाँच करने पर डिस्पले प्रर्दशित नहीं हो रहा है तथा मीटर जला है, आवेदक के विद्युत कनेक्शन पर स्थापित पूर्व मीटर जला पाया गया है इस आधार पर परिवादी के माह जुलाई 2023 के विद्युत देयक के सी. सी. बी. हेड के माध्यम से जले मीटर की राशि 10,500/– रू जोड़ी गई है जो नियम अनुसार सही होकर वसूली योग्य है।*

06. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–

"अतः निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर इंदौर फोरम द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09/10/2023 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित प्रति अपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाये जाने तथा वर्तमान अपील खर्च 3000/– रू. भी दिलाये जाने की कृपा की जावे ।"

07. **प्रकरण में दिनाँक 24.04.2024 को हुई प्रथम सुनवाई का विवरण निम्नानुसार हैः–**

आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.04.2024 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से सुनवाई हेतु अगली दिनाँक को नियत किए जाने हेतु प्रार्थना करते हुए यह सूचित किया कि उनके अधिवक्ता जबलपुर कोर्ट में किसी सुनवाई पेशी में व्यस्त होने के कारण विद्युत लोकपाल द्वारा निर्धारित सुनवाई दिनांक 24.04.2024 को उपस्थित होने में असमर्थ हैं, इस कारण आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री के0के0 जयसवाल, सहायक यंत्री (लालबाग जोन) बुरहानपुर उपस्थित हुए और अपना अधिकृत पत्र दिनाँक 18.04.2024 एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वह अपने प्रतिउत्तर की प्रति आवेदक को भी तीन दिवस के अंदर उपलब्ध करावें । आवेदक के लिखित निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण में अगली सुनवाई 14.05.2024 को नियत की गईं।

08. **प्रकरण में दिनाँक 14.05.2024 को सुनवाई का विवरण निम्नानुसार हैः–**

दिनाँक 24.04.2024 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के जबाब में आवेदक द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया । उक्त लिखित उत्तर की प्रति अनोवदक को भी उपलब्ध कराई गई थी। अतः. अनावेदक द्वारा भी उक्त उत्तर का लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

- अनावेदक द्वारा यह सूचित किया गया कि विवादित राशि का भुगतान आवेदक द्वारा "under protest" किया जा चुका है।
- उभ्यपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अनावेदक को उपभोक्ता / आवेदक को विद्युत प्रदाय करने वाले ट्रांसफार्मर पर संयोजित अन्य संयोजनों से संबंधित जानकारी एवं माह फरवरी 2023 में ट्रांसफार्मर के वोलटेज से संबंधित या अन्य कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसकी जानकारी दिनाँक 24.05.2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी हैं। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

09. **अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लिखित उनके प्रतिउत्तर दिनाँक 24.04.2024 में निम्न कथन किया गयाः–**

i. *अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष विद्युत कनेक्शन क्र. 85–04–3957004563 का मीटर डिस्प्ले दर्शित न होने से जारी औसत अधिक खपत यूनिट की राशि एवं कास्ट आफ मीटर की राशि निरस्त किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रं. W05600/2023 के रूप पंजीबद्ध किया गया एवं दिनांक 09/10/2023 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के परिवाद को अस्वीकार किया गया हैं ।*

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर कंडिका वार प्रतिअपीलार्थी का प्रतिउत्तरः–

ii. *अपीलार्थी श्री नईम अख्तर मोहिबउल्ला, खसरा नं. 47/06, हमीदपुरा, बुरहानपुर, सर्विस क्रं. 85–04– एन 3957004563 के नाम पर औद्योगिक श्रेणी (पावरलूम), 13 एचपी, थ्री फेस का विद्युत संयोग उपयोग /उपभोग हेतु आवंटित हैं ।*

iii. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह जनवरी 2023 तक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत देयक जारी किये गये हैं । किन्तु माह फरवरी 2023 में मीटर डिस्प्ले में वाचन दर्शित न होने के कारण माह फरवरी 2023 में औसत खपत 4476 यूनिट एवं माह मार्च 2023 में औसत खपत 1940 एवं नये मीटर में दर्ज खपत 1957 के आधार पर कुल खपत 3897 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया हैं, जो कि पूर्व माहों में जारी किये गये मीटर खपतों के सामान हैं एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.44 के नियमानुसार सही होकर भुगतान किये जाने योग्य हैं। मासिक विद्युत बिलों के अवलोकन हेतु उपभोक्ता के पास बुक की छायाप्रति* ***आर1*** *संलग्न है ।*

iv. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर स्थित मीटर डिस्प्ले पर आकड़े प्रदर्शित नहीं होने के कारण मीटर को जाँच कराने हेतु दिनांक 24/02/2023 को निकाला गया। अवलोकन हेतु मीटर डिस्पोजल की स्लिप की छायाप्रति* ***आर 2*** *संलग्न हैं ।*

v. *आवेदक के उक्त विद्युत संयोग स्थित मीटर को दिनांक 24/02/2023 बदले समय आवेदक के द्वारा मीटर डिस्पोजल स्लिप में लेख किया हैं कि,* ***मेरा पुराना मीटर लेबोरट्री में चेक किया जाये, नियमानुसार जो रिपोर्ट आयेगी मान्य होगी।***

vi. *आवेदक के उक्त विद्युत संयोग से दिनांक 24/02/2023 को निकाले गये मीटर की प्रयोगशाला जाँच दिनाँक 13/04/2023 को करायी गई। मीटर जाँच करने पर मीटर* ***Not Display*** *हैं तथा मीटर जला हैं । अवलोकन हेतु मीटर जांच रिपोर्ट की छायाप्रति* ***आर 03*** *संलग्न हैं।*

vii. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर दिनाँक 24/02/2023 को निकाला गया मीटर, जाँच करने पर जला होने एवं आवेदक के लिखित सहमति के आधार पर उक्त विद्युत संयोग के माह जुलाई 2023 के जारी किये गये विद्युत देयक के सी.सी.बी हेड के माध्यम से जले मीटर की राशि रू. 10,500 /– जोड़ी गई हैं, जो कि पूर्ण भुगतान किये जाने योग्य हैं। अवलोकन हेतु जले मीटर की राशि भुगतान के संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2022 (पुनरीक्षिण द्वितीय) वर्ष 2022 के पृष्ठांकित छायाप्रति* ***आर 04*** *संलग्न हैं।*

viii. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर पूर्व में स्थित मीटर प्रयोगशाला में जाँच करने पर जला पाया गया हैं, इससे प्रतित होता हैं कि, आवेदक के द्वारा माह जनवरी/फरवरी 2023 के दौरान उक्त विद्युत संयोग पर सामान्य भार से अधिक भार/अन्य भार संयोजित किया होगा जिससे मीटर जला होगा।*

ix. *अपीलार्थी के द्वारा अपील कंडिका क्र. 01 से लगातार कंडिका क्रं. 07 के माध्यम से माननीय वि.उ.शि.नि.फो. इन्दौर को आरोपित करना गलत हैं कि, उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं अवलोकन नहीं किया गया है, अपितू फोरम व्दारा पूर्ण अवलोकन, उभय पक्षों के रखे गये तर्क कथन एवं पूर्ण सुनवाई के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया है, जो कि उभय–पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए ।*

x. *अतः निवेदन हैं कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेगें।*

10. अनावेदक द्वारा अभ्यावदेन पर अपना उपरोक्त प्रतिउत्तर दिनाँक 24.04.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसपर आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। उपरोक्त लिखित कथन आवेदक द्वारा अनावेदक को दिनाँक 02.05.2024 को उपलब्ध करा दिया गया था । अतः अनावेदक प्रतिनिधी द्वारा भी आवेदक के कथन पर बिन्दुवार लिखित उत्तर दिनाँक 14.05.2024 की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। जिसकी एक प्रति आवेदक को भी दी गई।

11. **आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये लिखित तर्क एवं उनपर अनावेदक का बिन्दुवार जवाब निम्नुसार हैः–**

(i) **आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 01**

(ए) *वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वादग्रस्त मीटर क्र. एम.पीपी 01848 का डिस्पले खराब हो गया था जिसके आधार पर प्रति–अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के परिसर में दिनाँक 24/02/2023 को दूसरा मीटर स्थापित किया गया है।*

उक्त मीटर मे दिनांक 24/02/2023 से उक्त कनेक्शन की मासिक रिडींग दिनाँक 11/03/2023

तक कुल 16 दिन की विद्युत खपत 1957 युनिट दर्ज हुई है जिसके अनुसार 1957÷ 16 कुल 122.3 युनिट प्रति दिन की विद्युत खपत बनती है जिसे 30 दिन से गुणा करने पर 122.3 X 30 = 3669 युनिट बनती है जब कि अनावेदक ने माह जनवरी एवं फरवरी 2023 में 3669 यूनिट के स्थान पर 4476, 4476 औसत युनिट के बिल जारी किये गये है इस आधार पर अपीलार्थी प्रति अपीलार्थी से 806 + 806 = 1612 अधिक औसत युनिट की बिल राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

इसके अतिरिक्त दिनाँक 24/02/ 2023 से माह अगस्त 2023 तक की अवधि में कुल 21829 की कुल विद्युत खपत नये मीटर मे दर्ज हुई है जो कि कुल 6 माह की अवधि में मीटर क्रं 7603525 में दर्ज हुई है जिसका मासिक ऐवरेज 21829÷6 = 3638 औसत युनिट होती है इस आधार पर प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी से माह जनवरी एवं फरवरी 2023 की अवधि में जो 4476, 4476 औसत युनिट के बिल जारी किये है इस आधार पर भी 837 X 2 = 1675 यूनिट की राशि अपीलार्थी से अधिक प्राप्त की गई है इस लिये अपीलार्थी अधिक औसत 1675 यूनिट की राशि प्रतिअपीलार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

❖ **अनावेदक द्वारा उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तर** :–

- *अपीलार्थी के लिखित बहस की कंडिका क्रं 'ए' अस्वीकार हैं।*

- *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग क्रं. 85–04–3957004563 के स्थित मीटर में आकड़े प्रदर्शित न होने के कारण मीटर की प्रयोगशाला जाँच हेतु निकाला गया हैं एवं मीटर की प्रयोगशाला जाँच करने पर जला पाया गया हैं।*

- *अपीलार्थी के लिखित बहस की कंडिका क्रं श्बीश अस्वीकार हैं। अपीलार्थी के द्वारा जिस आधार पर औसत यूनिट खपत निकाला गया वह तर्कहीन एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की निहित प्रावधानों के अनुसार सही नहीं हैं।*

- *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर विगत माह नवम्बर 2022 दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 में मीटर खपत क्रमशः 4242,4509 एवं 4678 युनिट दर्ज की गई हैं, जो कि औसत खपत 4476 युनिट हैं। उक्त आधार पर माह फरवरी 2023 में औसत खपत 4476 एवं माह मार्च 2023 में औसत खपत 1940 एवं मीटर खपत 1957, कुल खपत 3897 यूनिट के विद्युत देयक जारी किये गये हैं। इसके साथ ही नये मीटर की स्थापना के पश्चात् भी माह दिसम्बर 2023 जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 मीटर खपत क्रमशः 4722, 4396 एवं 4152*

यूनिट दर्ज की गई हैं जो कि औसत खपत 4423 यूनिट हैं। उक्त विद्युत संयोग पर विगत वर्षों में भी औसत मीटर खपत लगभग 4300–4500 यूनिट दर्ज की गई हैं।

माह फरवरी 2023 एवं माह मार्च 2023 में जारी किये गये विद्युत देयकों का विस्तृत विवरण–

अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग का प्रतिमाह विद्युत बिल जारी करने का दिनाँक 11 वीं तारीख (बिलिंग चक्र के अनुसार)।

- विगत 03 माह (माह नवम्बर 2022 दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 का औसत खपत 4476 यूनिट हैं।
- प्रति दिन के अनुसार औसत मीटर खपत 149.2 यूनिट।
- माह फरवरी 2023 में औसत मीटर खपत (दिनाँक 11/02/2024 की स्थिति तक जारी विद्युत देयक) 4476 यूनिट
- माह मार्च 2023 जारी किया गया विद्युत देयक का विवरणः–
  मीटर बदलने की दिनाँक 24/02/2024 तक कुल 13 दिन का औसत खपत (बिलिंग चक्र के अनुसार) (दि. 12/02/2024 से दि. 24/02/2024 तक)
  =149.2X13=1939.60 (लगभग 1940 यूनिट)
  एवं नये मीटर में दर्ज खपत 1957 यूनिट
  इस प्रकार माह मार्च 2023 में कुल खपत यूनिट 1940+1957=3897 यूनिट
  अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र.02 में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जा चुका हैं। प्रतिउत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ii) **आवेदक द्वारा मीटर की कीमत रू.10500/–के संबंध में प्रस्तुत तर्कः–**

वादग्रस्त मीटर क्रं एम.पी.पी 01848 को जाँच कराये जाने संबधि सूचना विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं 8.16 के तहत अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी ने नहीं दी है इस लिये तथा कथित जाँच रिपोर्ट दिनाँक 13/04/2023 अपीलार्थी पर विधि अनुसार बंधन कारक नहीं है इस संबंध में आवेदक निम्न लिखित न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत कर रहा है जिसमे भी यह अभिमत दिया गया है कि संबधित उपभोक्ता की अनुपस्थिति में की गई मीटर जाँच संबंधित उपभोक्ता को बंधक कारक नही है कृपया देखे :–

श्री कृष्ण राजेन्द्र मिल्स बनाम चौयरमैन कर्नाटका इलेक. बोर्ड
ए.आई. आर 1991 कर्नाटका पेज नंबर 345

❖ **अनावेदक द्वारा उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–**

- *अपीलार्थी का लिखित बहस कंडिका क्र. 01 अस्वीकार हैं।*
- *अपीलार्थी के परिसर से दिनाँक 24/02/2024 को मीटर जाँच हेतु निकालते समय अपीलार्थी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि, मीटर की जाँच रिपोर्ट जो आयेगी मान्य होगी, ऐसी स्थिति में अलग से सूचना प्रषित नहीं की गई हैं।*

(iii) आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 03

अपीलार्थी का लोकपाल महोदय से यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त मीटर दिनाँक 24/02/2023 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मीटर रिप्लेस्मेंट एवं पीडी फार्म दिनाँक 24/02/2023 के अनुसार केवल मीटर का डिस्पले खराब होने के कारण बदला गया था जिसमे अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं थी इस लिये मीटर की कीमत अपीलार्थी से प्राप्त नही की जा सकती ।

❖ **अनावेदक द्वारा उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः-**

- *अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र. 02 अस्वीकार है।*
- *अपीलार्थी के परिसर में उक्त विद्युत संयोग में स्थित मीटर में आकड़े प्रदर्शित न होने पर प्रयोगशाला में जाँच हेतु दिनाँक 24/02/2024 को निकाला गया था। मीटर की प्रयोगशाला में जाँच के उपरांत ही मीटर जले होने की पुष्टि की गई हैं एवं माह जुलाई 2023 के विद्युत देयक में जले मीटर की राशि रू. 10,500/- सीसीबी हेड के माध्यम से जोड़ी गई हैं।*

(iv) आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 04

प्रतिअपीलार्थी ने माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत जवाब की कण्डिका क्रं. 8 में अपने जिम्मेदारी एवं जवाबदारी से बचने के लिये तथा कथित रूप से विद्युत संयोग पर सामान्य भार से अधिक भार/अन्य भार संयोजित किया होगा जिससे मीटर जला होगा के कथन किये है, किन्तु प्रतिअपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है इस लिये प्रति अपीलार्थी के द्वारा संभावना के आधार पर किये गये कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

❖ **अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः-**

अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्रं. 03 के प्रतिउत्तर देने की आवश्यता नहीं है।

(v) आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 05

प्रति अपीलार्थी ने दस्तावेज क्रं आर–2 मीटर रिप्लेसमेंट फार्म/पीडी फार्म दिनाँक 24/02/2023 में अपनी मन मर्जी से अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से बचने एवं अपीलार्थी से अनुचित एवं अवैधानिक रूप से वादग्रस्त मीटर की कीमत 10,500/– रू की राशि प्राप्त करने के उददेश से उक्त मीटर रिप्लेस्मेंट फार्म/पीडी फार्म श्मेंश 4 स्थानो पर निम्न अनुसार कुट रचना की गई है जिसका विवरण निम्न अनुसार है:–

ए. *मीटर बदलने या पीडी करने का कालम :–*

*के सामने **"27/02/2023 कुट रचना की गई है"***

बी. *पोर्टल पर डाली गई मीटर की स्थिति :–*

BURN – BF – Testing कुट रचना की गई है ।

सी. *मीटर बदलने / पीडी करने का कालम :–*

*के सामने **"जला मीटर"** कुट रचना की गई है।*

डी. *मीटर बदलने वाले कर्मचारी का विवरण :–*

***"मेरा पुराना मीटर लेबोरेट्री में जाँच कराया जावे जो भी रिपार्ट आएगी मान्य होगी"** कुट रचना की गई है।*

❖ **अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–**

अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र. 04 अस्वीकार हैं। प्रतिअपीलार्थी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये है। कार्यालय कार्य में प्रविष्टि करते समय कुछ कालम एवं खाली बिन्दुओं को पूर्ण प्रविष्टि किया जाता हैं।

(vi) **आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 06**

इस लिये वादग्रस्त मीटर की जाँच कराये जाने एवं तथाकथित मीटर जाँच रिपोर्ट दिनाँक 13/04/2023 अपीलार्थी पर किसी भी आधार पर बंधन कारक नहीं है ।

❖ **अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–**

अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र. 05 एवं 06 अस्वीकार हैं।

(vii) **आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 07**

अपीलार्थी ने लोकपाल महोदय के समक्ष अपनी अपील मेमो के साथ उसके मोबाईल में सुरक्षित मीटर रिप्लेसमेंट फार्म एवं पीडी फार्म की प्रति भी पेश की है तथा उसकी छाया प्रति पुनः इस लिखित बहस के साथ वास्ते अवलोकनार्थ लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिसमें

मात्र ***"नो डिस्पले, बंद पुराने मीटर का विवरण के सभी कालम निरंक होना तथा दिनाँक 24/02/2023 के अतिरिक्त अन्य कोई दिनाँक एवं वादग्रस्त मीटर की पोर्टल पर डाली गई स्थिति का कालम भी निरंक होना स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।"***

❖ ***अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–***

अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र. 05 एवं 06 अस्वीकार हैं।

(viii) ***आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 08***

प्रति अपीलार्थी के द्वारा की गई उपरोक्त समस्त कुट रचना की पुष्टी, स्वंय प्रति अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत डिफेक्टयु मीटर की सूची पेश की गई है उसके सीरियल क्रं. 52 में केवल और केवल वादग्रस्त मीटर को " MT & FAULTY मीटर " होने का उल्लेख किया है नाकि BURN METER का उल्लेख है ।

❖ ***अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–***

यह कि अपीलार्थी की लिखित बहस कंडिका क्र. 07 अस्वीकार हैं ।

(ix) ***आवेदक द्वारा तर्क क्रमांक 09***

उपरोक्त आधारों पर लोकपाल महोदय से निवेदन है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाकर माननीय इन्दौर फोरम द्वारा प्रकरण क्र. 5600/2023 में पारित आदेश दिनाँक 09/10/2023 को निरस्त किया जाकर प्रति अपीलार्थी ने जो अपीलार्थी की ओर माह जनवरी एवं फरवरी 2023 की अवधि मे अत्यधिक औसत युनिट की राशि प्राप्त की गई है तथा जो वादग्रस्त मीटर की कीमत 10500 /– रू प्राप्त की गई है उक्त दोनो राशि एवं वर्तमान अपील का खर्च 3000 /– रू भी अपीलार्थी को प्रति अपीलार्थी से दिलाये जाने संबधि आदेश पारित करने की कृपा की जावे ।

❖ ***अनावेदक के उपरोक्त तर्क पर प्रतिउत्तरः–***

जबावदावा एवं दस्तावेजों से समक्ष, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत जबावदावा एवं दस्तावेजों से अपीलार्थी अलग–अलग मतलब निकालकर आरोप–प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जो कि निराधार हैं एवं स्वीकार किये जाने योग्य हैं। प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा आवश्यकतानुसार समस्त दतावेजों को संधारित किया जाता एवं जानकारी प्रविष्टि की जाती हैं। अतः महोदय से विनम्र निवेदन हैं कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा दिनाँक 24/04/2024 को प्रस्तुत जबावदावा,

दस्तावेजों एवं लिखित बहस प्रतिउत्तर के आधार पर उक्त अपील सव्यय निरस्त करने का कष्ट करेगे ।

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रदत्त जानकारी, उभयपक्षों द्वारा अभिलेखों पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं सुनवाई में पाए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है:–

(1) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा आवेदक के 13 एच0पी0 औद्योगिक श्रेणी विद्युत संयोजन के मीटर बंद/जले होने के कारण अनावेदक द्वारा आंकलित खपत के आधार पर की गई बिलिंग को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान अनुसार उचित माना एवं आवेदक को विद्युत देयकों के भुगतान किए जाने एवं जले मीटर की कीमत विधिक प्रावधान अनुसार जमा करने हेतु आदेश पारित किया । इन्दौर फोरम के उपरोक्त आदेश से असंतुष्ठ होने के कारण आवेदक द्वारा विषयांतर्गत प्रकरण विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा केवल वादग्रस्त जले हुए मीटर की कीमत रू. 10,500/– जो कि उसके द्वारा *''अण्डर प्रोटेस्ट''* जमा की गई, को ब्याज सहित अनावेदक से वापस दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया ।

(2) दिनांक 14.05.2024 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता से यह पूछा गया कि क्या उनके अभ्यावेदन में केवल जले हुए मीटर की कीमत से संबंधित विवाद को ही विद्युत लोकपाल के पास प्रेषित किया गया है क्योंकि उनके अभ्यावेदन में कहीं भी फोरम द्वारा आंकलित खपत के आधार पर की गई बिलिंग पर दिए गए निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की राहत नहीं मांगी गई है । उनको यह भी कहा गया कि यदि उनके अभ्यावेदन में त्रुटिवश आंकलित खपत पर की गई बिलिंग के संबंध में फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रार्थना/निवेदन छूट गया है तो वह अपने अभ्यावेदन में सुधार कर पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं । इस विषय में आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि उन्होंने अपने अभ्यावेदन में इन्दौर फोरम द्वारा जले मीटर की कीमत वसूली हेतु आदेश पर ही निर्णय चाहते हैं, इसलिए अभ्यावेदन में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त अनुसार इस प्रकरण में उन्हीं बिन्दुओं का परीक्षण किया गया जो कि जले हुए मीटर की कीमत के भुगतान से संबंधित हैं ।

(3) आवेदक द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त मीटर की जांच कराएं जाने संबंधित सूचना उनको मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.16 के अनुसार नही दी गई इसलिए खराब मीटर की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023 आवेदक पर बंधनकारक नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा ''श्रीकृष्ण राजेन्द्र मिल्स बनाम चैयरमैन कर्नाटका इलके बोर्ड, आर.आई.आर. 1991 कर्नाटका'' से संबंधित किसी प्रकरण में पारित निर्णय का निम्न पैरा प्रस्तुत किया :–

"The inspection should be a joint inspection by an official of the Board and a representative of the consumer where the presence of a representative of the consumer is not secured, legitimacy cannot be lent to the version of the officer of the Board."

(4) उपरोक्त के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि इसमें Meter Inspection की बात कही गई है न कि प्रयोगशाला में मीटर टैस्टिंग की । इसके अतिरिक्त उपरोक्त निर्णय भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 पर आधारित था जबकि वर्तमान प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021'' के प्रावधान लागू होते हैं ।

(5) आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.16 का पालन अनावेदक द्वारा नहीं किए जाने के कारण मीटर जांच रिपोर्ट को बंधनकारी नहीं बताया गया है । आवेदक के इस कथन पर अनावेदक से पुष्टि करने पर यह बात सत्य है कि मीटर के परीक्षण पूर्व उपभोक्ता को कण्डिका 8.18 के प्रावधान अनुसार सूचित नहीं किया गया । परन्तु ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता मीटर के परीक्षण परिणामों का विरोध करता है या उनको बंधनकारी नहीं मानते हुए असहमत है, तो वह मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.20 में प्रदत्त प्रावधानों का उपयोग कर मीटर का परीक्षण तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरणों द्वारा करवा सकता था, जो कि आवेदक द्वारा नहीं किया गया ।

(6) सुनवाई के दौरान भी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा मीटर परीक्षण रिपोर्ट का न ही विरोध किया गया और न ही तृतीय पक्ष परीक्षण प्राधिकरण द्वारा उक्त मीटर की जांच हेतु निवेदन किया गया । आवेदक द्वारा इस तथ्य को कभी भी नहीं अस्वीकारा गया कि विद्युत मीटर खराब था और न ही उसकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न उठाया गया । अतः आवेदक का उपरोक्त तर्क विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है ।

(7) आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में फोरम के आदेश से असुतष्ट/क्षुब्ध होने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रमांक 8.12, 8.20, 8.24 एवं 8.40 पर फोरम द्वारा ध्यान नहीं देने एवं उक्त कण्डिकाओं की मंशा को नहीं समझने की भूल को आधार बनाया गया है। आवेदक के उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की उपर्युक्त कण्डिकाओं में प्रावधानों के अनुसार इस प्रकरण का निम्नानुसार परीक्षण किया गया ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.12, 8.20, 8.24 एवं 8.40 में प्रावधान निम्नानुसार है:–

8.12 *मापयंत्र (मीटर), कट–आउट, एमसीबी/सीबी आदि, जो अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित किये गये हों, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये मापयन्त्रों,*

कट–आउटों, एमसीबी/सीबी आदि की सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा। तथापि, यदि मापयंत्र (मीटर) को उपभोक्ता के परिसर के बाहर स्थापित किया जाता है तो मापयंत्र (मीटर) के सुरक्षित अभिरक्षण की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की होगी और यदि मापयंत्र (मीटर) को उपभोक्ता के परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो मापयंत्र (मीटर) के सुरक्षित अभिरक्षण की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

उपर्युक्त **कण्डिका 8.12** में मापयंत्र के कटआटट, एम.सी.बी. की सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं । विषयांतर्गत प्रकरण मापयंत्र में आंतरिक खराबी/जलने से संबंधित है, इसलिए यह कण्डिका इस प्रकरण में अप्रासंगिक है ।

8.20 *यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणामों का विरोध करता है तो मापयंत्र (मीटर) का परीक्षण आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरणों की सूची से उपभोक्ता द्वारा चुनी गई तृतीय पक्षकार सुविधा पर किया जाएगा। यदि सफलतापूर्वक यह प्रमाणित हो जाता है कि इस परीक्षण के परिणाम वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा किये गये परीक्षण के परिणामों से भिन्न हैं तो इस परिक्षण पर आने वाली लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, यदि यह प्रमाणित होता है कि इस परिक्षण के परीणाम वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा किये गये परीक्षण के परिणामों के समान हैं, तो इस परीक्षण पर आने वाली लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। इस परीक्षण के पूरा हो जाने के बाद मापयंत्र (मीटर) उपभोक्ता को जारी किये जाएंगे तथा उक्त परिणाम अन्तिम होंगे और उपभोक्त एवं वितरण अनुज्ञाप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगे।*

उपर्युक्त **कण्डिका 8.20** के प्रावधान उन प्रकरणों पर लागू होते हैं जिनमें उपभोक्ता द्वारा मीटर के परीक्षण उपरान्त परिणामों का विरोध करते हुए मापयंत्र का परीक्षण किसी अनुमोदित तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरण से करवाना चाहता हैं । वर्तमान प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा मीटर के परीक्षण परिणामों का ना ही विरोध किया गया और ना ही किसी तृतीय परीक्षण अभिकरण द्वारा कराए जाने हेतु विचार किया गया । अतः यह कण्डिका भी इस प्रकरण में अप्रासंगिक है ।

8.24 *विनियम 8.23 के अनुसार या फिर अनुज्ञप्तिधारी के नियतकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान भी उपभोक्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) मापयंत्र के रूक जाने, मुद्रांकन (सील) क्षतिग्रस्त हो जाने, मापयंत्र के जल जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मापयंत्र रूक गया है/ वाचन को अभिलेखबद्ध नहीं कर रहा है या फिर उपभोक्ता इस बारे में शिकायत दर्ज करता है, जिसके अनुसार मापयंत्र वाचन उसकी विद्युत खपत के आनुपातिक नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र का परीक्षण सात दिवस के भीतर किये जाने की व्यवस्तथा करेगा। निम्न दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मापयंत्र की*

धारा 8.26 (ग) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निधारित की गई समय–सीमा के भीतर मरम्मत कर दी जानी चाहिए या फिर इसे बदल दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त **कण्डिका 8.24** के अनुसार खराब/जले/चोरी हुए मापयंत्रों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी नए मापयंत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे के भीतर पुनः स्थापित करेंगे । इस प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा मापयंत्र के खराब होने की सूचना अनावेदक को दिनांक 20 फरवरी, 2023 को दी गई एवं अनावेदक द्वारा नया मापयंत्र दिनांक 24 फरवरी, 2023 को प्रतिस्थापित किया गया । कण्डिका में प्रावधान अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिवस के अन्दर मीटर का परीक्षण करवाना चाहिए, जबकि इस प्रकरण में खराब/जले मीटर का प्रयोगशाला में परीक्षण दिनांक 13 अप्रैल 2023 को लगभग डेढ़ माह पश्चात् किया गया । अतः अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को यह निर्देशित किया जाता है कि मीटर से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनका वर्णन कण्डिका 8.24 में किया गया है, का परीक्षण 7 दिवस के भीतर प्रयोगशाला में करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

8.40 *अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सतर्कता (विजिलेंस) सम्बन्धी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे, जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा, जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।*

उपर्युक्त **कण्डिका 8.40** के प्रावधान अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सतर्कता (विजिलेंस) सम्बन्धी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक जारी करने से संबंधित है, जो कि वर्तमान अभ्यावेदन में चाही गई राहत से अप्रासंगिक है ।

(8) आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मीटर रिप्लेसमेंट फार्म/पी0डी0 फार्म दिनांक 24.02.2023 को लेकर यह कहा गया कि उस फार्म के कुछ जगह अनावेदक द्वारा लिखी गई टीप आवेदक के हस्ताक्षर के पश्चात् लिखी गई है । उपरोक्त टीपों के अध्ययन से ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं पाई जाती कि उन टीपों को आवेदक से छिपाया गया या ऐसी टीप लिखने से आवेदक को कोई हानि होती है । अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो मीटर रिप्लेसमेंट फार्म/पी0डी0 फार्म की प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें खराब मीटर को बदलने के समय उपस्थित लाईनमैन, यंत्री और उपभोक्ता के तीनों प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं । दूसरी तरफ आवेदक के कथनानुसार मोबाईल का

उपयोग कर जिस फार्म की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है उस पर केवल उपभोक्ता के ही हस्ताक्षर हैं। अतः ऐसी स्थिति में वह मीटर रिप्लेसमेंट फार्म/पी0डी0 फार्म जो कि अनावेदक का ही अधिकृत दस्तावेज है एवं जिसको पूर्ण भरने के पश्चात् ही तीनों व्यक्तियों लाईनमैन, यंत्री और उपभोक्ता के हस्ताक्षर है, उपर्युक्त दस्तावेज होने के कारण संज्ञान में लेने योग्य है । अतः आवेदक का यह तर्क भी आधारहीन है ।

(9) आवेदक के खराब/बंद मीटर की जांच अनावेदक की परीक्षण प्रयोगशाला में हुई जिसमें स्पष्टतः पाया गया कि मीटर जला हुआ है एवं उसका डिस्प्ले नहीं बता रहा है । ऐसे मीटर के प्रकरण में जले हुए मीटर की लागत की वसूली मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.26 (b) अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 के अनुलग्नक एकः– मापन एवं अन्य प्रभारों की अनुसूची पांच के प्रावधान अनुसार की जावेगी जो निम्नानुसार है :–

जले हुए मापयंत्र (मीटर) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली जब उपभोक्ता का इस बाबत उत्तरदायित्व स्थापित हो चुका हो ।	**पूर्ण ह्रासित मूल्य (डेपरिशियेटेड कॉस्ट)**

(10) मीटर जलने के उत्तरदायित्व की पुष्टि के लिए अनावेदक से कुछ जानकारी सुनवाई दिनांक 14.05.2024 में मांगी गई । उक्त जानकारी अनावेदक ने दिनांक 22.05.2024 को प्रस्तुत की, जो कि निम्नानुसार है :–

"माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष उक्त अपील की सुनवाई दिनांक 14/05/2024 को उभय–पक्षों के द्वारा अपने–अपने तर्क कथन प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय महोदय के द्वारा, दिनांक 14/05/2024 सुनवाई के दौरान प्रति अपीलार्थी कम्पनी को अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया हैं। जो कि, इस प्रकार हैं।

1. अपीलार्थी के विद्युत संयोग सर्विस क्रं 85–04–एन3957004563 पर विद्युत आपूर्ति डी.पी. के संबंध में–

*अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 85–04–एन3957004563 पर विद्युत आपूर्ति, **फोर लेन होटल के पास वाली डी.पी. (01) (DTR0000377), कुल क्षमता 315 के.व्ही.ए.** से की जाती हैं। उक्त डी.पी. पर कुल 26 नं. औद्योगिक/पावरलूम श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निबार्ध एवं सतत् रूप (24x7) घंटे विद्युत प्रदाय किया जाता हैं। उक्त डी.पी. (DTR0000377) से जुड़े हुए 26 औद्योगिक/पावरलूम श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं का कुल संयोजित भार 208 किलोवाट हैं।*

*अवलोकन हेतु 26 नं. औद्योगिक/पावरलूम श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की सूची की छायाप्रति, **ए.आर.01** संलग्न हैं।*

2. अपीलार्थी के द्वारा मीटर बदलने हेतु, प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20/02/2023 के समय उक्त डी.पी. से संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत के संबंध में।

*अपीलार्थी के द्वारा विद्युत संयोग सर्विस क्रं 85–04–एन3957004563 का मीटर बदलने हेतु दिनांक 20/02/2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन प्रस्तुत दिनांक 20/02/2023 के जांच करने पर पाया गया कि, उक्त फोर लेन होटल के पास वाली डी.पी (01) से संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा लाईन बंद, वोल्टेज एवं किसी प्रकार विद्युत अवरूद्ध से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करायी गई हैं। अवलोकन हेतु विद्युत उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर/FOC register की छायाप्रति (दिनांक 15/02/2023 से दिनांक 20/02/2023 तक) **ए.आर.02** संलग्न हैं।*

11. उक्त जानकारी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वह विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर जिससे आवेदक को विद्युत प्रदाय होती है उस पर 26 औद्योगिक/पावरलूम श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन भी संयोजित है एवं माह फरवरी 2023 में किसी उपभोक्ता द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर या विद्युत प्रदाय से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिससे यह स्पष्ट होता है कि मीटर जलने का तकनीकी रूप से दायित्व अनावेदक का नहीं है । अतः उपरोक्त विधिक प्रावधान अनुसार आवेदक के जले मीटर की लागत का भुगतान उसको करने हेतु फोरम द्वारा दिए गए निर्देश को उचित पाया जाता है । अतः आवेदक/उपभोक्ता की अपील अस्वीकार करते हुए फोरम का आदेश यथावत् रखा जाता है । अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रयोगशाला में खराब/जले मापयंत्रों के परीक्षण के प्रकरणों में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

13. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

14. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल